

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी
की
प्रशासकीय परिषद की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की 23 वीं बैठक आज दिनांक 06.09.2014 को अपराह्न 03.00 बजे माननीय प्रो० वी०जी० दास, प्रोफेसर इमेरिटस इलेक्ट्रीकल इंजी० दयालबाग, आगरा की अध्यक्षता में सभागार (तिलक हॉल) यू०पी०टी०यू०, लखनऊ में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. प्रो० वी०जी० दास
प्रोफेसर इमेरिटस इलेक्ट्रीकल इंजी०
दयालबाग,
आगरा। | अध्यक्ष |
| 2. श्री संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ। | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री विद्यासागर शुक्ल
विशेष सचिव, वित्त विभाग
उ० प्र० शासन
लखनऊ। | सदस्य |
| 4. प्रो. कृपा शंकर
आई०आई०टी०,
कानपुर। | सदस्य |
| 6. प्रो० एस०के० अवस्थी
26, एम.आई.जी. चन्द्र बिहार
नियर केशा कालोनी,
कानपुर। | सदस्य |
| 7. प्रो० आर० सी० यादव
मकान नं० एच-96 साउथ सिटी
रायबरेली रोड
लखनऊ। | सदस्य |
| 8. प्रो० एस. एन. सिंह
प्रोफेसर
ई एण्ड सी
आई०आई०टी०,
कानपुर।
(निदेशक आई०आई०टी० कानपुर के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 9. डा० मुकेश पाण्डेय
डीन एण्ड प्रोफेसर
मैकेनिकल इंजी० विभाग
आर०जी०पी०वि०
भोपाल। | सदस्य |
| 10. इंजी० के०बी० लाल
आक्सीजन सर्विसेज इंडिया
प्रा०लि०,
गुड़गांव। | सदस्य |

mechast

[Signature]

[Signature]

11. इंजी० मुकेश खासगीवाला
कार्यपालक निदेशक
बी०एच०ई०एल०
झाँसी। सदस्य
12. प्रो० डी०आर० भास्कर
प्रोफेसर, ई.एण्ड सी. विभाग
जामियाँ मिलियां इस्लामियां
नई दिल्ली। सदस्य
13. प्रो० महफूजउर रहमान
डीन आफ कॉमर्स (पूर्व)
ए०एम०यू०,
अलीगढ़। सदस्य
14. प्रो० रघुराज सिंह
कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०
एच०बी०टी०आई०,
कानपुर। सदस्य
15. प्रो० अनिल कुमार
विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०
बी०आई०ई०टी०,
झाँसी। सदस्य
16. प्रो० अभय कुमार वर्मा
प्रोफेसर सिविल इंजी० विभाग
बी०आई०ई०टी०,
झाँसी। सदस्य
17. श्री भानुचन्द्र गोस्वामी
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।विशेष आमंत्रित
18. प्रो० मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक,
बी०आई०ई०टी०,
झाँसी। सदस्य सचिव

जो सदस्य उपस्थित न हो सके -

1. प्रो० प्रदीप्तो बनर्जी
निदेशक
आई०आई०टी०
रुड़की। सदस्य
2. प्रो० राकेश कुमार खाण्डल
कुलपति
यू०पी०टी०यू०
लखनऊ। सदस्य
3. श्री ओ०पी० वर्मा
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा
कानपुर। सदस्य

Meenupr

2
hu

b. e. S

23.01 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 11 मार्च, 2013 को सम्पन्न हुई बाईसवीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 11.03.2013 को सम्पन्न हुई बाईसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

23.02 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 11 मार्च, 2013 को सम्पन्न हुई बाईसवीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 11.03.2013 को सम्पन्न हुई बाईसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। परिषद ने डा0 घनश्याम श्रीवास्तव के प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं अन्य दस्तावेज के साथ आगामी प्रशासकीय परिषद की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

23.03 संस्थान की दिनांक 11 मार्च, 2013 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराना।

परिषद संस्थान की दिनांक 11.03.2013 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से अवगत हुई। परिषद ने संस्थान के निम्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता आगामी सत्र से निम्नानुसार किये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की-

क. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में प्रवेश क्षमता	स्वीकृत की गई प्रवेश क्षमता
1.	मैकेनिकल इंजी0	45	60
2.	सिविल इंजी0	45	60
3.	कैमिकल इंजी0	30	60

परिषद ने संस्थान के कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 विभाग में शैक्षिक सत्र 2015-16 से परास्नातक कोर्स प्रारम्भ किये जाने पर भी अपनी सहमति प्रदान की।

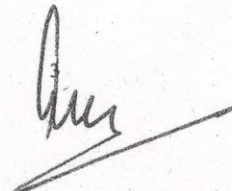
23.04 वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों एवं भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्यों से परिषद को अवगत कराना।

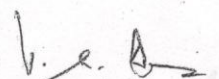
परिषद निर्माण कार्यों से अवगत हुई। परिषद ने शासन स्तर पर लम्बित प्रस्तावों पर शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी अनुश्रवण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

23.05 डा0 वी0जी0 दास, प्रोफेसर, इमेरिटस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दयाल बाग, आगरा को दो वर्ष की अवधि के लिए संस्थान की प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने से परिषद को अवगत कराना।

डा0 वी0जी0 दास प्रोफेसर, इमेरिटस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दयाल बाग, आगरा को दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद

Mecumet





मनोनीत किये जाने एवं तदानुपालन में दिनांक 20.02.2014 में किए गये कार्यभार ग्रहण से परिषद अवगत हुई।

23.06 संस्थान की प्रशासकीय परिषद में अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले प्रस्तावित सदस्यों की सूची परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद ने पूर्व में एक वर्ष के लिए नामित हुये सदस्यों के सेवाकाल को उपबंधित व्यवस्था के अंतर्गत दो वर्ष और विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की विवरण निम्नानुसार है-

अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा नामित सदस्य-

Under Society Rules Clause No. 7

सोसायटी नियम	पूर्व नामित अवधि	विस्तारित अवधि	नामित सदस्य
7(IX)	01 वर्ष	02 वर्ष	इंजी० के० बी० लाल आक्सीजन सर्विसेज इंडिया प्रा० लि०, 257, उद्योग विहार, फेस-1, गुड़गाँव।
7(XV)	01 वर्ष	02 वर्ष	प्रो० डी० आर० भास्कर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
7(XVI)	01 वर्ष	02 वर्ष	प्रो० रघुराज सिंह कम्प्यूटर साइंस विभाग, एच० बी० टी० आई०, कानपुर।

संस्थान के दो वरिष्ठता कम के निम्न प्रोफेसर्स को उपबंधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासकीय परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए नामित किया-

(x) Two Professors to be nominated by the Board for one year by rotation in order of seniority

Prof. M.K. Gupta Appl. Sc. & Humnnities B.I.E.T., Jhansi.	Prof. J.P. Saini Electronics & Commu. Deptt., B.I.E.T., Jhansi.
---	---

23.07 अभातशिप की प्रभावी अधिसूचना 05.03.2010 में उपबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत संकाय सदस्यों को कैरियर उन्नति योजना (कैश) का लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद उक्त प्रकरण से अवगत हुई। अभातशिप की अधिसूचना दिनांक 08.11.2012 को लागू किये जाने के संबंध में शीघ्र शासनादेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी।

23.08 विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी-11 सम्बंधित प्रगति आख्या परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

प्रगति आख्या से अवगत होते हुए यह निर्देशित किया कि आगामी बैठक में सम्बन्धित प्रगति आख्या पावर प्वाइंट में तैयार कर प्रस्तुत की जाये।

M. C. Gupta

[Signature]

[Signature]

23.09 अन्तराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुत करने हेतु विदेश भेजे जाने वाले संकाय सदस्यों का वास्तविक व्यय-भार टीईक्यूआईपी-॥ से वहन किये जाने का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में पेपर प्रस्तुत कराये जाने की समय सीमा विषयक अभातशिप द्वारा निर्धारित मानकों के अनुक्रम में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

परिषद ने अन्तराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के स्तर के मूल्यांकन हेतु प्रोफेसर कृपा शंकर, आई०आई०टी०, कानपुर की अध्यक्षता में त्रि-स्तरीय समिति गठित की तथा समिति के ०२ सदस्यों को चयनित करते हुए अपनी संस्तुति संस्थान के निदेशक को उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया।

23.10 विदेश में स्टडी टूर हेतु की जानी वाली अन्तराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर होने वाले वास्तविक व्यय भार का वहन टीईक्यूआईपी-॥ से किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने डा० अमिताभ श्रीवास्वत को स्टडी-टूर पर Technical University, Braunschweig, Germany में प्रतिभाग हेतु हवाई यात्रा के वास्तविक व्यय को टीईक्यूआईपी-॥ के मद से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की।

23.11 टीईक्यूआईपी-॥ के अधीन प्राप्त धनराशि से कय की जाने वाली सामग्रियों का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

टीईक्यूआईपी-॥ के अन्तर्गत प्राप्त कुल धनराशि रु० ६.०० करोड़ के सापेक्ष कुल रु० ५.३८ करोड़ की धनराशि का कय विवरण पी०एम०एस०एस० में अपलोड होने तथा तदक्रम में एस०पी०एफ०यू० लखनऊ एवम् एन०पी०आई०यू० दिल्ली द्वारा दी गयी स्वीकृति से अवगत होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। परिषद ने यह भी निर्देशित किया कि एन०पी०आई०यू० दिल्ली द्वारा अनुमोदित सामग्रियों का ही नियमानुसार कय किया जाय एवं कय किये जाने वाले उपकरणों की उपयोगिता सुनिश्चित हो।

टीईक्यूआईपी-॥ के संचालन हेतु संस्थान स्तर पर गठित की गयी समितियों पर परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

23.12 अध्ययन अवकाश पर जाने वाले संकाय सदस्यों से किये जाने वाले अनुबंध की अनुबंधित शर्तों में वांछित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद संशोधित अनुबंध की शर्तों से अवगत हुई। परिषद ने संशोधित शर्तों के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया कि, पी०एच०डी०/ एम०टेक हेतु भेजे जाने वाले संकाय सदस्यों के वापस आने की तिथि से कमशः पाँच/ तीन वर्ष तक संस्थान में अनवरत सेवा देने की अनिवार्यता सम्बंधी शर्त अनुबंध में प्रभावी की जाये।

Mecum

23.13 चयन समिति के विषय विशेषज्ञों की सूची परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा चयन समिति के विषय विशेषज्ञों की सूची पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

23.14 श्री डी०के० सिंह, लेखाकार को कार्यालय आदेश दिनांक 16.01.2014 के द्वारा स्वीकृत की गयी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति सम्बंधी प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद उक्त कार्यवाही से अवगत हुयी।

23.15 एस०एन०डी० पद के विरुद्ध लिपिक के रूप में की गयी नियुक्ति को लिपिक के रिक्त पद पर समायोजित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद प्रकरण से अवगत हुई, साथ ही निदेशक को अपने स्तर से सम्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

23.16 विशेष प्रोत्साहन भत्ता (कम्प्यूटर एलाउन्स) की पुनरीक्षित दर अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने अनुमोदन की तिथि से पुनरीक्षित दर रू० 300 प्रतिमाह दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

23.17 ई० एण्ड सी० विभाग का विभागाध्यक्ष नामित किये जाने सम्बंधी प्रकरण परिषद के विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रकरण पर संस्थान के निदेशक स्तर पर निर्णय लिया जाना है। तदनुसार कार्यवाही की जाय।

23.18 प्रो० जे०पी० सैनी, ई० एण्ड सी० विभाग, बी.आई.ई.टी., झाँसी के विरुद्ध शासनादेश दिनांक 14.11.2013 द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बंधी प्रकरण प्रशासकीय परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद उक्त से अवगत हुई।

23.19 संस्थान के छात्र-छात्राओं हेतु एक अंशकालीन मनोचिकित्सक एवं महिला चिकित्सक रखे जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने एक अंशकालिक महिला चिकित्सक को रू० 20,000 प्रतिमाह मानदेय पर रखे जाने पर सहमति प्रदान की।

Mecur

6 *[Signature]*

[Signature]

23.20 प्रो० अंजना सोलंकी द्वारा अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश एवं दिनांक 30.09.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि डा० अंजना सोलंकी दिनांक 27.7.2010 तक संस्थान में कार्यरत थी तथा उक्त तिथि से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में स्वीकृत अवैतनिक असाधारण अवकाश से अधिक समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त बिना अनुमति के कार्यरत हैं। चूँकि वर्तमान में प्रो० सोलंकी संस्थान में कार्यरत नहीं हैं। अतः उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के निदेशक प्रो० सोलंकी को नोटिस निर्गत कर 15 दिन का समय देते हुए उन्हें संस्थान में पुनः योगदान देने हेतु निर्देशित करें, यदि उनके द्वारा उक्त समयावधि के अंदर संस्थान में योगदान नहीं दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

23.21 डा० मुकेश शुक्ला द्वारा अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा संस्थान के निदेशक को निर्देशित किया गया कि वह प्रकरण का परीक्षण संस्थान स्तर पर करें और यदि इस प्रकरण पर प्रशासकीय परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना है तो सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में रखें।

23.22 डा० संतोष कुमार साहू द्वारा अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा संस्थान के निदेशक को निर्देशित किया गया कि वह प्रकरण का परीक्षण कर निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि इस प्रकरण पर प्रशासकीय परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना है तो सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में रखें।

23.23 तत्कालीन निदेशक, डा० हरविन्दर सिंह, द्वारा वेतन विसंगतियों/ पूर्वगामी तिथि से पदोन्नतियाँ व अन्य अनियमित निर्गत किये गये कार्यालय-आदेशों पर समिति द्वारा की गयी समीक्षा परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद उक्त से अवगत हुई। परिषद ने उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया। यदि इस प्रकरण पर प्रशासकीय परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना है तो सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में रखें।

meena

[Signature]

[Signature]

- 23.24 शासकीय निर्देशन के अनुक्रम में, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनिमित्ताओं में तत्कालीन निदेशक के सहयोगी रहे संस्थान के कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही तथा दण्ड निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण पुनः आगामी बैठक में सुस्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें।

- 23.25 श्री हरिबल्लभ शरण शुक्ल, तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दि० ०३.०६.२०१३ एवं प्रो० अभय कुमार वर्मा द्वारा प्रेषित पत्र दि० २३.०६.२०१४ जो उन पर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखने विषयक है, परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने उक्त प्रकरण पर संस्थान के निदेशक को निर्देशित किया कि प्रकरण में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण कराने के उपरान्त मत स्थिर करते हुए परिषद की आगामी बैठक में रखा जाय।

- 23.26 डा० हरविन्दर सिंह, तत्कालीन निदेशक, बी.आई.ई.टी., झाँसी द्वारा श्री आशुतोष तिवारी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति को, संस्थान स्तर से समाप्त किये जाने की कृत कार्यवाही परिषद के आवश्यक विचारार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

परिषद उक्त प्रकरण से अवगत हुई।

- 23.27 बी.आई.ई.टी., झाँसी में निदेशक पद पर रहते हुए डा० हरविन्दर सिंह, द्वारा की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के परिपेक्ष्य में इनके मूल संस्थान के.एन.आई.टी., सुल्तानपुर द्वारा डा० सिंह को निलम्बित किये जाने से परिषद को अवगत कराना।

परिषद उक्त प्रकरण से अवगत हुई।

- 23.28 वित्तीय वर्ष २०१०-११, २०११-१२ एवं वर्ष २०१२-१३ की आडिट आपत्तियों से परिषद को अवगत कराना।

परिषद ने आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया।

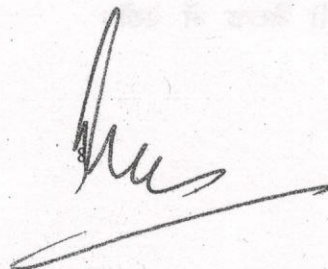
- 23.29 संस्थान की २८, २९ एवं ३० वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

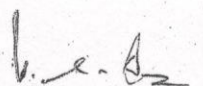
परिषद संस्थान की २८, २९, एवं ३०वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

- 23.30 भवन निर्माण समिति की सम्पन्न हुई २४ एवं २५वीं बैठक का कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ परिषद के निर्देशन के क्रम में प्रस्तुत।

परिषद संस्थान की २४ एवं २५वीं भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

Mecum





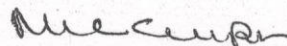
- 23.31 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।
- 23.31(01) संस्थान के निदेशक पद पर चयन हेतु चयन समिति में सदस्यों के नामांकन का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ।

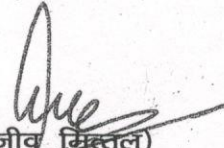
संस्थान के निदेशक पद पर साक्षात्कार कराये जाने हेतु चयन समिति में सदस्यों के नामांकन हेतु शासन के पत्र सं० 2471/सोलह-1- 2014-343/90टीसी-III दिनांक 01.08.2014 द्वारा परिषद से सम्बन्धित विश्वविद्यालय (यू०पी०टी०यू०) के सांविधिक निकाय द्वारा निम्न छह सदस्यों के नामों के पैनल में से 03 सदस्यों को नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी:-

1. प्रो०(डा०) एस०के० पाण्डेय, एन०आई०टी०, पाण्डुचेरी ।
2. प्रो० एस०जी० देशमुख, निदेशक, ए०वी०बी०आई०आई०आई० टी०एम०, ग्वालियर।
3. प्रो० (डा०) एम०पी० पुनिया, निदेशक, एन०आई०टी०टी०टी० आर०, चण्डीगढ़।
4. प्रो० पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, आर०जी०पी०वि०, भोपाल।
5. प्रो० एस०सी० सक्सेना, कुलपति, जे०आई०आई०टी०, नोएडा ।
6. प्रो० डी०एस० यादव, प्रति कुलपति, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

उक्त के संदर्भ में परिषद द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय (यू०पी०टी०यू०) के सांविधिक निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये 06 सदस्यों के नामों के पैनल में से निम्नलिखित 03 सदस्यों को नामित किया गया-

1. प्रो० एस०जी० देशमुख, निदेशक, ए०वी०बी०आई०आई०आई० टी०एम०, ग्वालियर।
 2. प्रो० (डा०) एम०पी० पुनिया, निदेशक, एन०आई०टी०टी०टी० आर०, चण्डीगढ़।
 3. प्रो० पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, आर०जी०पी०वि०, भोपाल।
- बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।


(प्रो० मनोज कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद
एवं
निदेशक, बीआईटी, झाँसी।


(श्री संजीव मिश्रा)
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
एवं
प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा,
उ० प्र० शासन, लखनऊ।


(प्रो० वी० जी० दास)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
एवं
प्रोफेसर, इमेरिटस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
नई दिल्ली।